IJAER/November-December 2017/Volume-6/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

महिलाओं का आत्मनिर्भरता में ग्रामीण विकास की योजना का महत्व

बृजमोहन सिंह

शोधार्थी

सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान

डॉक्टर रितेश मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर

सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान

सार

यह शोध पत्र भारत में ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभावी तरीकों का पता लगाने का एक प्रयास है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत ने लगभग 70 साल पहले अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, महिलाओं की खराब स्थिति अभी भी देश को त्रस्त कर रही है। इस अध्ययन के निष्कर्ष एक स्पष्ट प्रदर्शन देते हैं कि यद्यपि भारत सरकार, संवैधानिक निकाय और विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कठिन प्रयास करते हैं, भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए ऋण और भूमि की उचित पहुंच असंभव है। आय में लैंगिक असमानता और अपर्याप्त तकनीकी योग्यता ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाए गए पांच प्रमुख घटकों का इस शोध पत्र में गहन मूल्यांकन किया गया है, जिसे व्यापक रूप से ष्एकीकृत दृष्टिकोणष् के रूप में जाना जाता है। यह पत्र ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में इस एकीकृत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की सिफारिश करता है।

मुख्य शब्द: *अधिकारिता, ग्रामीण भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टिकोण।*

परिचय:

आंकड़ों के अनुसार, भले ही महिलाएं भारत की आबादी का 48ः हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय कार्यबल का केवल 29ः हिस्सा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं का कृषि और पशु योगदान कुल कार्यबल का 90ः है, जिसमें 80ः महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं। फिर भी, यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 66ः महिला आबादी का उपयोग नहीं किया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अत्याचारी है। जनगणना के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पुरुषों की 78.57 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर केवल 58.75 प्रतिशत है। केवल 26ः महिलाओं की औपचारिक ऋण तक पहुंच है और लिंगानुपात भी निंदनीय है।

सभी क्षेत्रों में आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, लचीली अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह स्थिरता को बेहतर बनाता है, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। हालांकि, सशक्तिकरण बहुआयामी, बहु–आयामी और बहुस्तरीय अवधारणा है, जिसके लिए महिलाओं को संसाधनों पर नियंत्रण का अधिक से अधिक हिस्सा लेने की आवश्यकता होती है जो ज्ञान, सूचना, विचारों जैसे भौतिक, मानवीय और बौद्धिक हो सकते हैं। इसमें धन जैसे वित्तीय संसाधन भी शामिल हैं – महिलाओं को धन तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र स्तर पर निर्णय लेने पर नियंत्रण प्रदान करना और उन्हें श्शक्तिश हासिल करने में मदद करना। महिलाओं को बहुआयामी होने के लिए प्रोत्साहित करने से महिलाओं को उनकी

क्षमता के आधार पर विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने, योगदान करने और लाभ प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलेगा ताकि उनके योगदान का मूल्य मूल्यवान हो, गरिमा का सम्मान किया जा सके और बातचीत करना संभव हो सके। विकास के लाभों का उचित वितरण। यह बाद में आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण में सुधार करेगा और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण एक आवश्यकता है क्योंकि इससे महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाली सामाजिक हिंसा और अत्याचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। इस शोध पत्र में कई सुझाव दिए गए हैं जो अपने परिवेश और समाज में जागरूकता के द्वार खोलेंगे जिसमें महिलाएं जीवन यापन करती हैं और उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने वाली सदस्य बनाती हैं और इस प्रकार अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक मॉडल

फ्राइडमैन के ढांचे (फ्रीडमैन, 1992) और विश्लेषण में पहचाने गए सशक्तिकरण के अर्थ और संकेतकों पर चित्रण, चित्र 1 ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के मॉडल को प्रस्तुत करता है जिसे विकसित किया गया था (लेनी, 2002)। यह पहचान किए गए सशक्तिकरण के चार रूपों के बीच अंतर्संबंधों को दर्शाता है, और सशक्तिकरण के प्रत्येक रूप की प्रमुख विशेषताओं को सारांशित करता है। यद्यपि इस पत्र में सशक्तिकरण के इन चार रूपों की अलग–अलग चर्चा की गई है, लेकिन उनके बीच स्पष्ट रूप से कई अंतर्संबंध और अतिव्यापन हैं (लेनी, 2002)।

महिला सशक्तिकरण के प्रकार

सशक्तिकरण के प्रमुख प्रकारों को चार समूहों (लेनी, 2002) में संक्षेपित किया जा सकता है।

सामुदायिक सशक्तिकरणरू नए और उपयोगी ज्ञान और जागरूकता तक पहुंच, नए कौशल, क्षमताओं, आत्मविश्वास और क्षमता का विकास, अन्य महिलाओं की मित्रता और समर्थन प्राप्त करना, अन्य महिलाओं के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना।

संगठनात्मक सशक्तिकरणरू ग्रामीण पर्यटन विकास या कृषि सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी के नए लाभों के बारे में नया ज्ञान और जागरूकता।

राजनीतिक सशक्तिकरणरू ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करने वाली अन्य सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करना, शहर–आधारित लोगों की मान्यताओं को बदलना, सरकार और उद्योग में लोगों के साथ नेटवर्किंग और ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अन्य महिलाओं के साथ नेटवर्किंग करना।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. ग्रामीण भारत में महिलाओं की समकालीन आर्थिक स्थिति का आकलन करना।

2. ग्रामीण भारत में महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे आर्थिक मुद्दों का पता लगाना।

3. ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुछ सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

साहित्य की समीक्षा:

सेन (1981) द्वारा दिया गया पात्रता दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो ग्रामीण महिलाओं

को उनके आर्थिक उत्थान के लिए भूमि के अधिकार और ऋण का सुझाव देता है। एन चार्लेन मारबर्ग (2015) ने बांग्लादेश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण बांग्लादेश में भूमि विरासत का सुझाव देकर इस पात्रता दृष्टिकोण की खोज की क्योंकि यह वहां निहित नहीं है, शादी बांग्लादेश में महिलाओं के लिए केवल एक सामाजिक सुरक्षा हुआ करती थी। कई अन्य वैचारिक और अनुभवजन्य अध्ययनों ने समर्थन किया कि भूमि और ऋण तक पहुंच ग्रामीण महिलाओं को सफलतापूर्वक सशक्त बना सकती है, के.सी. रॉय, सीए टिस्डेल (2000) ने बताया कि ग्रामीण भारत में हमें महिलाओं के लिए भूमि पर दो प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, पहला कानूनी है और दूसरा प्रथागत है जहां प्रथागत भूमि पर अनौपचारिक अधिकार है, निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि सभी प्रथागत अधिकारों को कानूनी अधिकारों में बदल दिया जाना चाहिए। प्रणब आर चौधरी, मनोज कुमार बेहरा (2016) ने महिलाओं की भूमि के लिए एसेस से संबंधित एक कानूनी सरकारी ढांचे का प्रस्ताव दिया और आर विष्णुवर्तिनी और ए.एम. द्वारा शोध अध्ययन में कुछ कानूनी संशोधनों का सुझाव दिया। अयोति (2016) ने भी उपरोक्त शोधकर्ताओं के निष्कर्षों का समर्थन किया, उनके अध्ययन ने प्रस्तुत किया कि केवल एक कानूनी आधार ही भारत में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर सकता है, उनके काम में एसएचजी की संभावित भूमिका का आकलन किया गया है, जो यह दर्शाता है कि एसएचजी में नियोजित महिलाओं को मिला है। वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच। जूलिया विकलैंडर (2010) ने मूल्यांकन किया कि ग्रामीण भारत में महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में सशक्त बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह घरेलू शोषण से मुक्त होंगी और उन्हें घरों और संपत्ति के अधिकारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान पहुंच प्राप्त होगी। शब्बीर अहमद (2016) ने भारतीय संविधान के प्रावधानों और भारत में ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच व्यापक अंतर का आकलन किया। सूचना, संपत्ति, ऋण और अवसरों तक ग्रामीण महिलाओं की पहुंच अपर्याप्त है। उन्होंने पाया कि भारत में ग्रामीण महिलाओं के कम आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अंतर और राज्य के भीतर असंतुलन जिम्मेदार हैं। डॉ. अर्जुन यल्लप्पापंगन्नावर (2015) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों के समग्र दृष्टिकोण की व्याख्या कीय उन्होंने कहा कि ष्आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाष का गठन तभी किया जा सकता है जब ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। संबत (1998) के शोध कार्य में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एसएचजी की भूमिका का सुझाव दिया गया है, उन्होंने थाईलैंड में एसएचजी की उत्पादक और भागीदारी गतिविधियों का पता लगाया और वहां के लोगों के वित्तीय स्तर के उदय की व्याख्या की। नरिंदर पॉल, एम.एस. नैन (2015) ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण सुझायाय उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण पर्यटन के साथ विकास का एक सहयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब्दुल अहमद (2015) ने अकुशल ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में बताया। उन्होंने भारत में अकुशल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए सूक्ष्म स्तर के आकलन का सुझाव दिया। रूपा बर्नार्डिनर, मंगला एस.एम. (2017) ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन किया क्योंकि यह घर और समुदाय में महिलाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

डॉ. आभा चौधरी (2016) के अध्ययन के निष्कर्षों ने स्पष्ट प्रदर्शन दिया कि ग्रामीण भारत में बुजुर्ग महिलाओं में अधिक वित्तीय असुरक्षा मौजूद है और उनके पास समय के रचनात्मक उपयोग के अवसरों की कमी है, इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा बुजुर्गों की ओर होनी चाहिए ग्रामीण भारत में महिलाएं, इस अध्ययन के निष्कर्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं कि बुजुर्ग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि वे किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उत्पादक हो सकते हैं, यह उनके बीच नेतृत्व की गुणवत्ता ला सकता है और समुदाय में प्रभाव डाल सकता है, सारा पावनेलो , पामेला पॉजर्नी और एना पाउला (2015)। नित्या राव (2011) ने अर्थव्यवस्था में इष्टतम कृषि योगदान के लिए ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की सिफारिश की, यह एक स्पष्ट तथ्य है कि इसके योगदान को निराशाजनक गति मिल रही है।

अनुसंधान क्रियाविधिरू

अध्ययन के उद्देश्य के लिए एक वैचारिक अनुसंधान डिजाइन को अपनाया गया है। वर्तमान अध्ययन उन विभिन्न आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता है जिन्हें ग्रामीण भारत में नारीकृत किया गया है जो अंततः भारत के सतत आर्थिक विकास के रास्ते में कई ठोकरें पैदा कर रहे हैं। अध्ययन मुख्य रूप से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से एकत्रित माध्यमिक डेटा पर आधारित है। आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में विश्व बैंक सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई विभिन्न पहलों की जांच के लिए उपलब्ध पत्रिकाओं का व्यापक अध्ययन किया गया है। यह शोध अध्ययन भारत में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुछ समावेशी विचारों और दृष्टिकोणों का सुझाव देता है।

ग्रामीण भारत में महिलाएंरू अर्थव्यवस्था में उनकी संभावित भूमिका

महिलाएं भारत की आबादी का 48ः हैं इसलिए आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। लगभग आधी आबादी को मिलाकर महिलाएं एक वास्तविक मानव संसाधन आधार बनाती हैं। असाधारण स्तर पर और विभिन्न रूपों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी अर्थव्यवस्था के निर्माण में बड़े पैमाने पर योगदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान अभूतपूर्व है। ग्रामीण महिलाएं देश भर में कृषि श्रम शक्ति की रीढ़ हैं। आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए महिलाओं का योगदान घर से शुरू होता है, जो शुरुआती घंटों से देर रात तक शुरू होता है और डेयरी और अन्य गतिविधियों जैसे बागवानी, फूलों की खेती और एक पूर्ण परिवार को बनाए रखने सहित कृषि गतिविधियों में भाग लेने के बीच होता है। वे खेती, बुनाई, निर्माण, कुटीर के लिए भारी घरेलू कोरस में बहुत योगदान देते हैं और ये गांव स्तर की गतिविधियां अर्थव्यवस्था के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। महिला केंद्रित अर्थव्यवस्था की मात्रा मानव पूंजी में उनके निवेश के स्तर के रूप में, उनके बच्चों को पालने और पढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए या उन्हें विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो कृषि और उद्योग में आय और उत्पादन पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इस प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव माना जाता है यदि महिलाओं के पास आर्थिक अवसरों तक पहुंच हो और उन अवसरों के आर्थिक लाभों पर नियंत्रण होय उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रणनीतिक विकल्प बनाने के लिए ज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ महिलाओं की स्थिति का तुरंत उत्थान होता है। ग्रामीण और जरूरतमंद महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों को अपनाना और लागू करना एक निर्विरोध विचार है। इसके लिए सकारात्मक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की आवश्यकता है।

आर्थिक सशक्तिकरण की राह में ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दे:

वास्तव में, हालांकि, पुरुषों और महिलाओं के बीच की स्थिति में असमानता समाज द्वारा महिलाओं को मान्यता प्रदान करने के रास्ते में आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए अवसरों से इनकार किया गया और समुदाय के कल्याण के लिए उनकी क्षमता का उपयोग किया गया। महिलाएं लगभग हमेशा और हर जगह पुरुषों के अधीन रही हैं। भारत में ग्रामीण महिलाएं अपने शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक पीड़ित हैं, दोनों ही अत्यधिक अभाव, लिंग–असंवेदनशील सामाजिक–पर्यावरण–राजनीतिक संरचनाओं के कारण होने वाली कठिनाई के कारण लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य कृत्यों के कारण होती हैं। दुर्भाग्य से ग्रामीण महिलाओं की

सामाजिक–पारिस्थितिकी स्थिति हीन है और वे सदियों से अत्याचार और उत्पीड़न के अधीन हैं और आज भी भारतीय ग्रामीण इलाकों में आर्थिक जीवन में पुरुषों का स्थान है। आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव और सामाजिक मानदंडों, अवैतनिक काम में अनुपातहीन भागीदारी और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संपत्ति और वित्तीय और अन्य सेवाओं तक असमान पहुंच के कारण आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें आम तौर पर पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे खुद को घरेलू परिवेश तक सीमित रखें और बेटियों, बहुओं, पत्नियों और माताओं के रूप में निष्क्रिय भूमिका निभाएं। इसने उनकी गतिशीलता को बाधित किया है और बाद में उनके समावेशी व्यक्तित्व के विकास के अवसरों की कमी हुई है। वे भेदभाव और शोषण के अधीन हैं और आर्थिक परिदृश्य में निम्न स्थिति रखते हैं। महिलाओं, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में, आनुपातिक रूप से सबसे कम संपत्ति, कौशल, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, नेतृत्व गुण और लामबंदी की क्षमता है, जो निर्णय लेने और शक्ति की डिग्री निर्धारित करती है, और परिणामस्वरूप, पुरुषों पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। वे प्राचीन काल से घर की चार दीवारों तक सीमित रहे हैं, घरेलू कामों के बोझ तले दबे हुए हैं और घर के पुरुषों द्वारा उनकी गतिशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए वे शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं और परिणामस्वरूप, उनके काम का आर्थिक रूप से बहुत कम मूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि हमारा संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है, फिर भी लिंग आधारित दृश्य और अदृश्य असमानताएं और असमानताएं हमारे समाज में प्रचुर मात्रा में हैं। समाज में प्रजनन से संबंधित उनकी भूमिका के बावजूद, वे पोषण आहार, स्वास्थ्य देखभाल, संस्थागत प्रसव सुविधाओं आदि जैसे कई अभावों के कारण पीड़ित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की राह में निरक्षरता सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपनी शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उन्हें या तो अपने भाई–बहनों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है, गरीबी के कारण घरेलू काम में संलग्न हो जाती है या बहुत कम उम्र में शादी कर ली जाती है। हाई स्कूल शिक्षा आम तौर पर दायरे से बाहर है। लड़कियों को शिक्षा में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उच्च कुशल रोजगार के माध्यम से ऊपर की ओर आर्थिक गतिशीलता लगभग असंभव है। ज्यादातर दरवाजे महिलाओं और लड़कियों के लिए बंद रहते हैंय भले ही वे अपने कौशल को उन्नत करना चाहते हों या अपनी विशेषज्ञता में सुधार करना चाहते हों। शिक्षा असमानताओं में कमी और परिवर्तन लाने के लिए बुनियादी आवश्यकता है और समाज के भीतर महिलाओं की स्थिति में सुधार के साधन के रूप में भी कार्य करती है। शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य और कल्याण भी महत्वपूर्ण है। एक महिला का घटता स्वास्थ्य जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं या लिंग आधारित हिंसा के कारण होने वाली समस्याएं शामिल हैं। पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाओं की अनुपलब्धता और मौलिक सुरक्षा और अखंडता के मुद्दे भी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मुख्य बाधा हैं। स्वस्थ महिलाओं के पास निश्चित रूप से एक स्वस्थ दिमाग और शरीर होगा जो सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये बुनियादी बाधाएँ होने के साथ–साथ कई अन्य बाधाओं या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें दूर किया जाना है।

ग्रामीण भारत में, बहुत कम महिलाओं का भूमि या उत्पादक संपत्ति पर स्वामित्व होता है। यह संस्थागत ऋण में एक रोड़ा साबित होता है। महिलाओं के पास भूमि नहीं होना और ऋण तक पहुंच न होना एक अन्य बाधा है जो आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को सीमित करती है। संपत्ति तक पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, विशेषकर महिलाएं जो खेती में हैं। भारतीय कानून संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार का अधिकार देता है, हालांकि, वास्तव में स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को उनके स्वामित्व में भूमि नहीं मिलती है और भूमि का विलेख आमतौर पर उनके पति के नाम पर आवंटित किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाएं कृषि के किसी भी पहलू पर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेने में सक्षम

नहीं होती हैं। यद्यपि कृषि विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन सबसे अधिक इनपुट क्रेडिट तक उनकी पहुंच सीमित है। चूंकि महिलाएं आम तौर पर भूमि मालिक नहीं होती हैं, इसलिए आम तौर पर पुरुष सदस्यों (यानी मालिकों) के नाम पर क्रेडिट प्रवाह होता है। इस प्रकार यह महिलाओं को ऋण प्राप्त करने से वंचित करता है और इस प्रकार धन संबंधी मामले विशेष रूप से पुरुष सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

यद्यपि महिलाएं लगभग सभी कृषि कार्यों में खुद को शामिल करती हैं, फिर भी उनके पास सीमित गतिशीलता के कारण तकनीकी योग्यता और जानकारी की कमी या अपर्याप्त है। इसने बाद में उन्हें कृषि और खेती में इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी प्रथाओं का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप खराब कार्यकुशलता और कठिन परिश्रम हुआ। महिलाएं भी निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं या आम तौर पर उन गतिविधियों के बारे में निर्णय लेती हैं जिनमें तकनीकी योग्यता और धन संबंधी मामलों की आवश्यकता होती है और केवल परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा ही विचार किया जाता है। चूंकि ज्ञान और आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण के मानदंड हैं, इसलिए तकनीकी ज्ञान, कौशल को बढ़ाने और विभिन्न कृषि गतिविधियों में अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कृषि युद्धाभ्यास मैन्युअल और अकुशल तरीके से होते हैं। इन क्षेत्रों में उनके आघात को कम करने के लिए बहुत कम शोध और विकास किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कृषि महिलाओं की ओर से अधिक कठिन परिश्रम होता है। तकनीकी दृष्टिकोण और अन्य कृषि सूचना प्रसार मुख्य रूप से जनसंचार माध्यमों के माध्यम से होता है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का मीडिया से सीमित संपर्क होता है, जिसके परिणामस्वरूप वे जागरूक नहीं होती हैं।

निष्कष:

इस शोध में ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली कई आर्थिक समस्याओं का आकलन किया गया। वास्तव में, सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन पर काबू पाने के लिए समाज को लैंगिक भेदभावपूर्ण मानदंडों और प्रथाओं को सक्रिय रूप से कम करने की आवश्यकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संस्थान लिंग अधिकारों को व्यवहार में लाने के लिए जवाबदेह हैं। महिलाओं की आबादी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत है। महिलाओं के रोजगार से आर्थिक विकास और बदले में जीडीपी को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण बदले में महिलाओं की पहुंच को आर्थिक संसाधनों और संभावनाओं सहित नौकरियों, वित्तीय सेवाओं, संपत्ति और अन्य उत्पादक संपत्तियों, कौशल विकास और बाजार की जानकारी तक बढ़ाता है। इस अध्ययन में कुछ सुझाव दिए गए हैं। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और महिला रोजगार में वृद्धि से आर्थिक विकास में वृद्धि होगी और महिलाओं और पुरुषों की श्रम शक्ति के बीच की खाई में कमी आएगी। यह एक ऐसे समाज में संतुलन लाएगा जिसमें पुरुषों का अत्यधिक वर्चस्व है और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का अवसर मिलेगा। यह आर्थिक निर्भरता को कम करता है और कई लैंगिक रूढ़ियों और भेदभाव को चुनौती देने का अवसर प्रदान करता है। यह एक समान समाज और बेहतर आवाज और समाज के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें समुदाय में महिलाएं आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं, और मुख्य धारा की सामाजिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्यान्वित एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थव्यवस्था के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक मुख्य सुझाव दिया गया है कि अवैतनिक कार्य को संतुलित करने के लिए एक संभावित रणनीति काफी आवश्यक है।

सन्दर्भ

1ण मैमेन, क्रिस्टिन, और क्रिस्टीना पैक्ससन। 2000. ष्महिला कार्य और आर्थिक विकास।ष जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, 14 (4)रू 141–164।

2ण एडिक (1995)रू ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए बुनियादी शिक्षाय कृषि और ग्रामीण विकास।

3ण संबत, एस.एस. (1988)। ष्थाईलैंड में स्वयं सहायता समूहष, ग्रामीण वित्त 1 (2)।

4ण हर्नाडर (1993)रू ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास परियोजना में शामिल लोगों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के पूरक के रूप में सांस्कृतिक योगदानय लैंडस्केप और शहरी नियोजन

5ण गोपालन, एस. (1992)। ग्रामीण विकास में महिला कार्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।

6ण विकलैंडर, जूलिया। (2010) ष्ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के निर्धारकरू एक आंतरिक घरेलू अध्ययनष। मास्टर थीसिस।

7ण विष्णुवर्तिनी, आर. और अयोथी, ए.एम. (2016)। ष्महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिकारू एक महत्वपूर्ण समीक्षाष। अर्थशास्त्र और वित्त के आईओएसआर जर्नल 7(3)–33–39।

8ण पावनेलो, सारा। पॉजर्नी, पामेला। और पाउला, एना (2015)। ष्महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक संरक्षण पर गुणात्मक अनुसंधानष संयुक्त राष्ट्र रोम का खाद्य और कृषि संगठन।

9ण रॉय, के.सी. और टिस्डेल सी.ए. (2000)। ष्ग्रामीण भारत में महिला अधिकारिता में संपत्ति अधिकाररू एक समीक्षा। सामाजिक अर्थशास्त्र, नीति और विकास पर कार्य पत्र, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय।

10ण मारबर्ग सी. एन (2015)। ष्भूमि विरासत और ग्रामीण बांग्लादेश में विरासत में मिली भूमि को प्रभावित करने वाले लिंग सामाजिक कारकष। थीसिस यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी।

11ण राव, एन. (2011) ष्जेंडर लैंड एंड रिसोर्स राइट्स इन इंडियाष।

12ण अहमद, शब्बीर (2016)। ष्ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरणरू एक अवलोकनष सामाजिक प्रभाव के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 1(3)– 35–44

13ण कौर, इंद्रजीत (2014) ष्ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और मनरेगाष। लोक प्रशासन के भारतीय जर्नल। 60(3)–698–719

14ण चौधरी, आभा। (2017)। ष्भारत में ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरणष। संगोष्ठी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के लिए।

15ण पंगन्नावर, वाई. अर्जुन (डॉ.) (2015)। ष्महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण पर एक शोध अध्ययनरू स्वयं सहायता समूह, भारत में एक नया प्रयोगष। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, एजुकेशन, सोशल एंड स्पोर्ट्स स्टडीज। 2(1)–51–56.

16ण पॉल, नरिएंदर और नैन, एम.एस. (2015)। ष्भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरणष। विस्तार शिक्षा के भारतीय जर्नल। 51(3)–40–43.

17ण चौधरी, आर. प्रणब और बेहरा के. मनोज (2017)। ष्जेंडर इक्विटेबल लैंड गवर्नेंसष। भूमि और गरीबी सम्मेलन, विश्व बैंक। वाशिंगटन डीसी।

18ण बर्नार्डिनर, रूपा और एस.एम. मंगला (2017) ष्स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सामूहिक सशक्तिकरणष वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रकाशनों के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 7(8) 89–99।

19ण रानी, सुधा, के.डी. उमा और जी. सुरेंद्र ष्(एसएचजी, माइक्रो–क्रेडिट और अधिकारिताष। समाज कल्याण। 20–22

20ण टी. टंडन। (2016) ष्महिला सशक्तिकरणरू परिप्रेक्ष्य और विचारष। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी" 3(3)